डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर, शाहपुरा

ब ईजलास – श्री सुरेन्द्र बी.पाटीदार, आर.ए.एस.

अनवान

1. देबी पिता गंगाबिशन जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
2. जगदीश पिता गंगाबिशन जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
3. सोजी पिता गंगाबिशन जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान के कायममुकाम।
   - 3.1 बदाम पत्नि सोजी जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
   - 3.2 शिमला पिता सोजी पत्नि शंकरलाल जाति मीणा निवासी गोरदा तहसील सावर जिला केकडी राजस्थान।
   - 3.3 धर्मराज पिता सोजी जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
   - 3.4 हेमराज पिता सोजी जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।

बनाम

1. कलेक्टर साहब, प्रतिनिधी राजस्थान सरकार।
2. तहसीलदार तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
3. जवाना पिता गंगाराम मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर, मृतक के बजाय
   - 3.1 रतिराम पिता जवाना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
   - 3.2 रामराज पिता जवाना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
   - 3.3 गोरा पिता जवाना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
   - 3.4 फोरी पिता जवाना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
   - 3.5 श्रवणी पत्नि जवाना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
   - 3.6 रामलीला पिता जवाना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
4. गीला पिता गंगाराम जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
5. सावला पिता काना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
6. किशना पिता अम्बाराम जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
7. रामेश्वर पिता अम्बाराम जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।
8. कालू पिता अम्बाराम जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपर जिला शाहपुरा राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88.89.90.92ए. रा0टी0ए0

प्रकरण संख्या 78 सन् 2001

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री रितेश काटिया का मिनजानिब मुदई व श्री ..... का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

अतः वादीगण का वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम राणी पटवार हलका बिन्ध्याभाटा भू0अ0नि0 क्षैत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर मे स्थित कृर्षि भूमि खसरा संख्या 1586 रकबा 0.6556 हैक्टेयर मे प्रतिवादीगण 3 के वारीसान रतिराम पिता जवाना मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर, रामराज पिता जवाना मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर, गोरा पिता जवाना मीण निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर, फोरी पुत्री जवाना मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर, रामलीला पुत्री जवाना मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर व प्रतिवादीगण 4 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से आज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी न करे न करावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.07.2024

मुहर

(सुरेन्द्र बी.पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (शाहपुरा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

ईजलास – श्री सुरेन्द्र बी.पाटीदार, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 78/2001
दायर दिनांक :– 23.04.2001

अनवान

1. श्री देबी पिता गंगाबिशन मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
2. श्री सोजी पिता गंगाबिशन मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
3. श्री सोजी पिता गंगाबिशन मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर के वारिसान

3.1 बदाम पत्नी सोजी मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
3.2 शिमला पिता सोजी पत्नी शंकर लाल मीणा निवासी गोरदा तहसील सावर
3.3 धर्मराज पिता सोजी मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
3.4 हेमराज पिता सोजी मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. कलेक्टर साहब प्रतिनिधी राजस्थान सरकार
2. तहसीलदार तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
3. जवाना पिता गंगाराम मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर (मृतक के बजाय)।

3.1 रतिराम पिता जवाना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
3.2 रामराज पिता जवाना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
3.3 गोरा पिता जवाना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
3.4 फोरी पुत्री जवाना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
3.5– श्रवणी पत्नि जवाना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
3.6 रामलीला पुत्री जवाना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर

4. गीला पिता गंगाराम जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
5. सावला पिता काना जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
6. किशना पिता अम्बाराम जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
7. रामेश्वर पिता अम्बाराम जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर
8. कालू पिता अम्बाराम जाति मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट वादीगण
2. श्री प्रतिवादीगण अनुपस्थिति एकतरफा कार्रवाई

:: निर्णय :: दिनांक 24.07.2024

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर पटवार हल्का जहाजपुर भू. अभि. नि. क्षेत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा के आराजी खसरा सॅख्या 1586 रकबा 04 बीघा 06 विश्वा स्थित है। जो वर्तमान मे ग्राम बोराणी

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

पटवार हल्का बिंध्याभाटा मे दर्ज है जो वादीगण के कब्जे काश्त है। आ.न. 1586 रकबा 04.06 बीघा नवीन सेटलमेन्ट के समय गंगाराम पिता काना मीणा के नाम सेटलमेंन्ट अधिकारियों की गलती से दर्ज कर दी गई वर्तमान मे गंगाराम की मृत्य हो जाने से उसके लडके जवाना एवं गीला के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है। आ.न. 1586 रकबा 4.06 बीघा के पहले के नबर सेटलमेन्ट से पहले 2482/15 था मिलान खसरे में निम्न अंकित हैं नये नम्बर 1586 पुराने नम्बर 2482/15 भूराजस्व काना वल्द मोटा मीणा नि सेलादाता वर्तमान भूराजस्व गंगाराम वल्द काना मीणा नि. सेलादाता गे. खा. कालम में अंकित है। उक्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व काना पिता मोटा मीणा के नाम अंकित थी वर्तमान मे भी काना पिता मोटा के वंशज के रूप में हमारा वादीगण के कब्जा हैं काना पिता मोटा मीणा नि. सेलादाता के परिवार का सजरा निम्न है।

काना पिता मोटा

गंगाबिसन	सांवला	अम्बालाल
देबी जगदीश सोजी	0	किशना रामेश्वर कालू

काना पिता मोटा मीणा नि. सेलादाता के वंशजो में गंगाराम पिता काना कोई नही हुआ। उक्त गंगाराम पिता काना अन्य काना की संतान थी सेटलमेन्ट अधिकारियों ने गलती कर गंगाराम का नाम दर्ज कर दिया। उक्त वर्णित भूमि पर सेटलमेन्ट से पूर्व से वादीगण का कब्जा हैं कब्जे काश्त हैं सम्वत 2022 से 2025 तक खसरा गिरदावरी में गंगाबिसन पिता काना के भूमि अंकित थी। वर्णित भूमि वादी के पिता के हिस्से में आई थी काना पिता मोटा मीणा के लडके गंगाबीसन सांवला अम्बालाल थे काना की मृत्यु के बाद बंटवाडा होकर अलग अलग खाते में दर्ज हो गई भूमि गंगाबिसन के हिस्से में थी लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों ने दर्ज नही की व मिलान खसरे में भी ओवरराईटिंग कर कटिंग से गंगाराम का नाम लिखा हैं बाद में भी सम्वत 2022 से 2025 खसरा गिरदावरी में गंगाबीसन का नाम दर्ज है। रेवेन्यु अधिकारियों ने वक्त राजस्व अभियान व बाद मे कई दरख्वास्ते दी लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नही की गई। इसलिय उक्त नोटिस देना पडा, जवाब गीला को भी इन्द्राज दुरूस्ती हेतु कहा लेकिन उनके द्वारा कार्यवाही नही करने के बिना मुखालफानी 1 अटुम्बर 1994 से उनके स्पष्ट मना करने से उत्पन्न होकर जारी है। उक्त वर्णित भूमि आ. न. 1586 रकबा 4.06 बीघा को जवाना गीला पिता गंगाबीसन मीणा नि सेलादाता के नाम से रेवेन्यु रेकार्ड से हटा श्री देबी, जगदीश सोजी पिता गंगाबीसन मीणा नि. सेलादाता के नाम इन्द्राज दुरूस्ती व रेवेन्यु रेकार्ड मे अंकित करे की डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रदान फरमावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त कर शा0 फा0 किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

वादीगण की और से श्री छीतर लाल रेगर एडवोकेट का अधिकारी पत्र पेश किया गया। जिसे शामिल फाईल गया। प्रतिवादीगण की और से दिनांक 18.12.2022 को जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 16.11.2022 को वकील प्रतिवादीगण द्वारा नो ईन्ट्वशन किया गया। तथा प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने वाद पत्र की ताईद में अग्रलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जो शामिल पत्रावली है, मिलान खसरा प्रदर्श 1, जमाबन्दी संवत 2019 से 2022 प्रदर्श पी 2, खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2025 प्रदर्श पी 3, 80 सीपीसी का नोटिस दिया उसकी प्राप्ती रसीद प्रदर्श 4–5, जमाबन्दी की नकल प्रदर्श 6, जमाबन्दी संवत 2028 की नकल प्रदर्श 7 है। तथा बयान गवाह में जगदीश पी डब्ल्यु 1, बसन्ती लाल पी डब्ल्यु 2, हरदेव पी डब्ल्यु 3, सांवला पी डब्ल्यु 4 तथा प्रतिवादीगण की और से गीलाराम डी डब्ल्यु 1, पोखर डी डब्ल्यु 2 के बयान कराये गये। जो शामिल फाईल है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण द्वारा बताया की आफिस कानूनगो बसन्ती लाल के बयान में मिलान खसरे में ओवर राईटिंग को माना है। प्रतिवादी गीलाराम ने अपने बयान में कहा कि खाना पिता मोटा मेरे दादाजी नही है। प्रतिवादी ने जो दस्तावेज पेश किये है वह संवत 2018 के बाद के है। इसलिये प्रतिवादी अपना कब्जा साबित नही करते है और प्रतिवादी का कब्जा होता तो वह पहले भी 183 आर टी एक्ट के तहत दावा कर सकता था। सांवला जो गंगाबिशन का भाई है जिसने वादी का कब्जा बताया। सांवला 80 वर्ष का है उसने वादी का पूर्वजों के समय से कब्जा बताया। बसन्ती लाल आफिस कानूनगो ने मिलान खसरा प्रदर्श डी 1 व खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2025 की ताईद की काना पिता मोटा मीणा निवासी सेलादाता वर्तमान में गंगाविसन पिता काना मीणा के नाम से गिरदावरी में दर्ज है। प्रदर्श 2 को देख कर बताया काना पिता मोटा नाम दर्ज है। यह सही है कि आराजी नं. 2482/15 जिसके नये नंबर 1586–1589 बने है जो रेकार्ड के अनुसार सही है। खसरा गिरदावरी संवत 2028 से 2031 को देख कर कहा विवादग्रस्त जमीन गंगाराम पिता काना के नाम दर्ज है। सेटलमेन्ट से पूर्व मिलान कर्ता पर ओवररारईटिंग हो रही है इसलिये मैं नही कह सकता कि यह जमीन गंगाराम की है। यह गंगाबिसन के नाम पर है। खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2025 जो प्रदर्श दो की जमीन व खसरा गिरदावरी गंगाबिसन पिता काना मीणा नि० सेलादाता के नाम गैरखातेदारी से दर्ज है। कालम नं0 6 में खातेदार कृषक का नाम खसरा गिरदावरी में प्रविष्टी दर्ज है। इस अंकन के हिसाब से विवादित जमीन गैरखातेदारी काश्तकार गंगाबिसन पुत्र काना है निवासी सेलादाता है। किसी भू अभिलेख का नाम परिवर्तन बेचान बक्षीस विरासत न्यायालय की डिकी से हो सकता है। इसके अलावा राजकीय भू अभिलेख में कोई नाम परिवर्तन तो लिपीकीय भूल से संभव है। इस प्रकार साक्षी बसन्ती लाल ओफिस कानूनगो ने वादी के दावे की पुष्टि की है। प्रतिवादी स्वयं

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

व गवाह पोखर के बयान हुये। गीला ने बयान में कहा कि मैने सन् 1968 से 2000 तक खेती नही की बाहर रहा। 5–6 साल पहले दावा किया जिसके सम्मन मेरे भाई को मिले तथा जमीन पर वादी का कब्जा माना। प्रतिवादी ने अपने बयान में वादी के दादाजी का नाम की जानकारी नही होना बयान किया। गवाह पोखर ने भी वादीगण का कब्जा माना। प्रतिवादी ने स्वयं वादी का कब्जा माना इसके अलावा प्रतिवादी ने कभी वादी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज नही कराया। न ही पुलिस में कभी शिकायत की। केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन होने से जमीन का मालिक बनना चाहता है। प्रतिवादी ने सेटलमेन्ट से पूर्व अपना कब्जा साबित नही किया है। वादी का दावा वादी के बयानों एवं रेकार्ड से साबित है अतः वादी का वादपत्र की डिक्री जारी कराने हेतु निवेदन किया गया।

मैने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त सेटलमेन्ट मिलान खसरे में कटिंग कर गंगाबिशन पिता काना के स्थान पर गंगाराम पुत्र काना कर दिया गया इस कारण सेटलमेन्ट के बाद गंगाबिसन पिता काना के स्थान पर गंगाराम पुत्र काना का नाम जमाबन्दी में दर्ज किया गया। जिसकी ताईद बसन्तीलाल तत्कालीन आफिस कानूनगो तथा गीलाराम डी डब्ल्यु 1 ने अपने बयानों के द्वारा की गई है। खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 मे गंगाबिसन पिता काना मीणा नि. सेलादाता का नाम रेकार्ड में दर्ज हैं। विवादित भूमि पर कब्जा भी वादीगण का ही चला आ रहा है। जिसकी ताईद स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने बयानों में की गई है। तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2022 से 2025 से कब्जे की ताईद होती है। उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त भूमि गलत ईन्द्राज होने से वादीगण के नाम किया जाना उचित हैं जिससे न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम बोराणी पटवार हल्का बिंध्याभाटा भू० अ० नि० क्षेत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1586 रकबा 0.6556 है. मे प्रतिवादीगण 3 के वारिसान. रतिराम पिता जवाना मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर, रामराज पिता जवाना मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर, गोरा पिता जवाना मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर, फोरी पुत्री जवाना मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर, श्रवणी पत्नि जवाना मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर, रामलीला पुत्री जवानां मीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर व प्रतिवादीगण 4 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करे, न करावे। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक .07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र जी. पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner